

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक 1887 / 14-1 दिनांक, अमरोहा, फरवरी 01/3/2017
सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक

मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।

विषय :- जनपद अमरोहा, में बदायूं-बिजनौर मार्ग (एन.एच-51) किमी० 113.100 की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की खसरा संख्या-79,, तहसील हसनपुर में एक रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 08 बाधक वृक्षों को विदोहन हेतु अनुमति के संबंध में।

संदर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक 1531/अमरोहा/19948/2016,, दिनांक 20.01.2017

महोदय

उपरोक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 1531/अमरोहा/19948/2016,, दिनांक 20.01.2017 द्वारा अमरोहा-बदायूं-बिजनौर मार्ग (एन.एच-51) किमी० 113.100 की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की खसरा संख्या-79,, तहसील हसनपुर में एस्सार आयल रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 08 बाधक वृक्षों के विदोहन की अनुमति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर शासन के निर्देशानुसार शर्त संख्या 1 से 7 तक के अनुपालन के सम्बन्ध में सूचना मांगी गयी है।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश दिनांक 11.07.2014 के शर्त संख्या 1 से 7 तक का अनुपालन प्रस्ताव/प्रयोक्ता ऐजन्सी में एस्सार ऑयल लि० द्वारा किया गया है।

भवदीय

(एम०यू०खान)

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एम०यू०खान)

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा।